न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद **35 / 2020**

वादीगण :–

1. मदन प्रजापत पुत्र जेठाराम जी जाति प्रजापत उम्र 45 वर्ष निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मालाराम पुत्र काशबाराम जाति विश्नोई
2. किशनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई
   निवासीयान मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री जेठूलाल कुमावत वादीगण वकील

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय दिनांक :– 15.10.2020

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया गया । वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1359 / 868 रकबा 01 बीघा ग्राम मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, भू निरीक्षक पचपदरा, तहसील पचपदरा में आया हुआ है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 1359 / 868 मे वादी व प्रतिवादीगण 01 व 02 का संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमे वादी का 16 / 20 हिस्सा है व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण 01 व 02 की खातेदारी का है। वादग्रस्त खसरा सं. 1359 / 868 का वादी व प्रतिवादीगण में पूर्व मे मौखिक बंटवाडा किया जा चुका है व मौखिक बंटवाडे अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में लाल मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शाये भाग पर वादी माफिक मौखिक बंटवाडा काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील कार्यालय चलकर मौके पर काबिज काश्त अनुरूप बंटवाडा करवाने हेतु कई बार कहा गया पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। वादी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी है प्रतिवादीगण विधिवत बंटवाडा करवाये बिना ही स्टेन्जर / अजनबी केताओं को भूमि बेचने व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने हेतु आमादा है, अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अपना खातेदारी की कृषि भूमि को पृथक कर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

लगातार ....

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में जुदा जुदा बट्टा नम्बर अंकित कर विभाजित करने का निवेदन किया है।

दावा दिनांक 23.06.2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादीगण को सम्मन बाद तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। मौजा गांव मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा भू–निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1359/868 रकबा 01 बीघा कृषि भूमि जो वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, में वादी अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है।

तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.9.2020 को प्राप्त हुआ । तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि वादग्रस्त खसरा 1359/868 रकबा 01 बीघा मौजा मण्डापुरा पटवार सर्किल पचपदरा भू–निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में वादी मदन प्रजापत पुत्र जेठाराम जाति प्रजापत का 16/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 1. मालाराम पुत्र काशबाराम जाति विश्नोई का हिस्सा 2/20 व प्रतिवादी संख्या –2 विशनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई का 2/20 हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर पेश किया गया जो इस प्रकार है ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि के पूर्व में रेल्वे की भूमि पश्चिम, में बालोतरा –पचपदरा सडक, उतर में खसरा संख्या 1361/868 व 867, दक्षिण में खसरा संख्या 1358/868 स्थित है। मौका व पंजीयन दस्तावेजो के अनुसार वादी का खसरा संख्या 867 के 4/7 हिस्सा व उससे जुडता वादग्रस्त खसरे का 16/20 हिस्सा पर कब्जा है एवं प्रतिवादीगण का रेल्वे से जुडती भूमि पर कब्जा मौका अनुसार है। रेल्वे की भूमि पर आवागमन नहीं होने के कारण वर्तमान में कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव अनुसार मदन प्रजापत पुत्र जेठाराम प्रजापत सा. बालोतरा खातेदार के खसरा संख्या 1359/868 रकबा 0.16 बीघा, किस्म बा.अ., लगान 0.40, मालाराम पुत्र काशबाराम हि 1/2 किशनाराम पुत्र ठाकराराम हि 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के खसरा संख्या 1359/868 रकबा 0.04 बीघा, किस्म बा0अ0 लगान 0.10 दर्शाया गया है ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि माफिक डिकी अनुसार मौजा मण्डापुरा के खसरा न0 1359/868

रकबा 0.16 बीघा किस्म बा.अ. लगान 0.40, मालाराम पुत्र काशबाराम हि 1/2 किशनाराम पुत्र ठाकराराम हि 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के खसरा संख्या 1359/868 रकबा 0.04 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में माफिक हिस्से के अनुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निर्णय का हिस्सा होगा । निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखित दफतर हो ।

(रोहित कुमार)

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner